न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/324
दायरा तिथि : 26.08.2022
आदेश तिथि : 27-03-2023
प्रार्थी :–

रमेश कुमार पुत्र नथमल जाति कुम्हार
निवासी फालनागांव तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. चेलाराम दत्तक पुत्र गमनाराम जाति सीरवी
निवासी फालनागांव तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी)तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 27-03-23

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1018 रकबा 0.5600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी की भूमि ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1013/1258 रकबा 0.1600 हैक्टर तथा राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1258/1275 रकबा 0.4500 हैक्टर मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2022/3353 दिनांक 30.11.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, खुडाला की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी आवेदक द्वारा अपनी धारित खातेदारी भूमि ख.नं. 1018 रकबा 0.5600 है. भूमि में आवागमन हेतु खसरा नंबर 1013/1258 रकबा 0.1600 है. खातेदारी भूमि एवं खसरा नंबर 1013 रकबा 0.30 व खसरा नंबर 1258/1275 रकबा 0.45 है. राजकीय सिवायचक भूमि में से प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है उक्त रास्ते की सीमा में दो विद्युत पोल लगे हुये है जिसे हटाया जाने पर ही रास्ता आवागमन किया जा सकता है तथा खसरा नंबर 1013 जो खीमेल फालना गांव रोड पर स्थित है उक्त खसरा के आगे की तरफ दोनों कॉर्नर पर अतिक्रमण कर दुकान का निर्माण किया हुआ होने व रास्ते में विद्युत लाईन के पोल होने से रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। अतः भू.अ. निरीक्षक खुडाला द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार रास्ता दिया जाना बताया गया है उक्त रास्ते में वर्तमान में फालनागांव की तरफ से बना दुकान का ढांचा हटाकार सीधा रास्ता दिया जा सकता है उक्त दुकान के ढांचे के पास ही गेट लगा हुआ है तथा इस गेट से आगे प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक का रास्ता मौके पर है जिसमें से प्रार्थी को आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया है जो नजरी नक्शाा में दर्शाया गया है।

2. मौके पर खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1013/1258 खाली खडी है तथा खसरा नंबर 1013 व 1258/1275 राजकीय सिवायचक भूमि भी समतल है।

3. आवेदक खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में पडत होने से खातेदारी भूमि एवं राजकीय सिवायचक भूमि से होते हुये खातेदारी में आवागमन होता है।

4. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	1013	0.30	बा.दो.	56X05=280 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि
2	1013/1258	1.16	बा.दो.	30X05=150 वर्गमीटर	चेलाराम दत्तक पुत्र गमनाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार तहसील बाली
3	1258/1275	0.45	बा.दो.	130X05=650 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/324
अनवान रमेश कुमार बनाम चेलाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. प्रस्तावित भूमि ग्राम फालनागांव की डी.एल.सी. दर 376016/— रूपये प्रति हैक्टेयर है।
प्रकरण में तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ज्ञात हैं कि आवेदक प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1018 रकबा 0.5600 हैक्टर में आवागमन के लिये वर्तमान में रेकर्डेड कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, जिस तथ्य को अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है। जिससे प्रार्थी की रास्ते बाबत् मांग न्यायोचित है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1018 रकबा 0.5600 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिये ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1013/1258 रकबा 0.1600 हैक्टर तथा राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम फालनागांव तहसील बाली के खसरा नंबर 1258/1275 रकबा 0.4500 हैक्टर मेंसे **280+150+650=1080 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :—

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 376016/— रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1013	0.30	56X05=280 वर्गमीटर	38	10640X2= 21280	राजकीय सिवायचक भूमि
1013/1 258	1.16	30X05=150 वर्गमीटर	38	5700X2= 11400	चेलाराम दत्तक पुत्र गमनाराम जाति सीरवी सा. देह खातेदार तहसील बाली
1258/1 275	0.45	130X05=650वर्गमीटर	38	24700X2= 49400	राजकीय सवायचक भूमि
		कुल 1080 वर्गमीटर		कुल राशि 82080	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि **82080/— (अक्षरे बयासी हजार अस्सी रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण निजी खातेदार/राज्य सरकार को अदा की जायेगी। निजी खातेदार द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. खुडाला द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2022/324

अनवान रमेश कुमार बनाम चेलाराम वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

क्रमॉक/कोर्ट/2023/217-221 दिनांक : 27-03-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 खुडाला
3. पटवारी हल्का, फालनागांव
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक रमेश कुमार पुत्र नथमल जाति कुम्हार निवासी फालनागांव तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner